प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.12.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 03.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उसकी नवविवाहिता पुत्री उम्र 26 वर्ष के ससुरालीजन व अन्य रिश्तेदार द्वारा वादी की पुत्री से दहेज की मांग करना व दहेज के लिये प्रताडित करना जिससे परेशान होकर वादी की नवविवाहिता पुत्री द्वारा तेजाब पी लेना जिससे उसकी मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 07.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1. त्रिलोकीनाथ पुत्र स्व0 सतीश निवासी तिलकराम कालोनी, गली न0 02 बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर (मृतका का पति) 2. रविन्द्र पुत्र स्व0 सतीश निवासी तिलकराम कालोनी, गली न0 02 बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर (मृतका का जेठ) को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 05.12.2025 को उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्ता प्रेमवती पत्नी स्व0 सतीश निवासी तिलकराम कालोनी, गली न0 02 बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद उम्र 65 वर्ष (मृतका की सास) को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्ता (मृतका की सास) प्रेमवती पत्नी स्व0 सतीश उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरे बेटे त्रिलोकीनाथ के साथ मृतका पूजा से करीब 03 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। मैं कभी कभी अतिरिक्त दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करती थी जिससे छुब्ध होकर उसने तेजाब पी लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता–

प्रेमवती पत्नी स्व0 सतीश निवासी तिलकराम कालोनी, गली न0 02 बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गाजियाबाद उम्र 65 वर्ष (मृतका की सास)

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

दिनांक 04.12.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री देवेन्द्र सोनी निवासी मैन मार्केट गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा उनकी दुकान में घुसकर उनके पिता श्री गिरधारी लाल सोनी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर देना व उनके भाई पर भी जानलेवा हमला कर घायल करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा-109(1)/103(1) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व उपरोक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त अंकित गुप्ता को हिरासत में लिया गया। मौके पर फील्ड यूनिट के द्वारा घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 02 चाकू(छोटा-बडा), 01 दाब, 01 कैंची व मिर्च पाउडर बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि मैंने आईएमआर कालेज से एमबीए की पढाई की हुयी है जिसके बाद मैंने कई कम्पनियों में कार्य किया है, पिछले काफी समय से मैं बीनोमो एप पर ट्रैडिंग का कार्य करता था जिसमें रुपये हार जाने के कारण मेरे ऊपर करीब 50 लाख रु0 कर्जा हो गया था जिसको चुकाने के लिए मेरे द्वारा कुछ दिन पहले अपना सुचेतापुरी में स्थित घर भी बेच दिया था किन्तु कर्जा नहीं पट रहा था जिसके कारण मैंने कई बैंको से लोन भी लिया हुआ था। कर्जे से परेशान होकर मैंने अपने क्षेत्र के गिरधारी लाल & सन्स ज्वैलर्स मैन मार्केट गोविन्दपुरी की दुकान को लूटकर अपने कर्ज को चुकाने हेतु योजनाबद्ध तरीके ब्लिंकिट एप से दिनांक 03.12.25 को चाकू, कैंची व मिर्ची पाउडर आदि आर्डर किया था चूंकि मैं दुकान के पास ही मकान पर रहता था तथा यह दुकान सुबह जल्दी अकेले 08 बजे के करीब खुलती थी तथा दुकान पर उम्रदराज व्यक्ति बैठता था। इसके बाद मैंने सुबह गिरधारी लाल की दुकान पर पहुँचकर गिरधारी लाल की आँख में मिर्ची पाउडर डालकर चाकू से हमला कर दिया था। इस तरह की घटना करना मैंने टीवी पर क्राईम पैट्रोल से सीखी थी। वहाँ से मैंने भागने की कोशिश की किन्तु मुझे भीड ने पकड लिया, इसी दौरान मुझे चोट लग गयी।

अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता निवासी मोदीपोन रोड थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त मिर्च पाउडर, 02 छोटे/बडे चाकू, 01 दाब व 01 कैंची (आलाकत्ल) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

हिरासत में लेने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम